न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–154 / 2014–15

फ्लावर वैली फुड्स प्राइवेट लिमिटेड आदि

बनाम

राज्य सरकार आदि

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अनिल विष्ट।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : श्री राजवीर सिंह, सहा0जिला शास0अधि0(राज0)

बावत

मौजा लकेसरी, परगना भगवानपुर,
तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार।

निर्णय

यह द्वितीय अपील विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या–53 / 2012–13 अन्तर्गत धारा–331 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम फ्लावर वैली फुड्स प्राइवेट लिमिटेड आदि बनाम उत्तराखण्ड सरकार आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 28–04–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण ने वादग्रस्त भूमि प्रतिउत्तरदाता संख्या–02 व 03 से पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 09–06–2004 के माध्यम से उद्योग की स्थापना हेतु कय की थी। प्रश्नगत भूमि को कय करने हेतु निगरानीकर्तागण ने जिलाधिकारी, हरिद्वार से दिनांक 07–06–2004 को अनुमति भी प्राप्त की। राज्य सरकार की ओर से निगरानीकर्तागण के विरूद्व दिनांक 18–09–2004 को वाद योजित किया गया जिसमें यह कथन किया गया कि बैनामा निष्पादित करने से पूर्व उत्तराखण्ड शासन से अनुमति प्राप्त नहीं की गई और प्रश्नगत भूमि के विकय होने से जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–154(4)(2)(ड) का उल्लघंन होने के कारण प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित होने योग्य है। कलक्टर, हरिद्वार द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 08–09–2008 से वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166 / 167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित किए गए। इस निर्णयादेश दिनांक 08–09–2008 के विरूद्व अपीलार्थीगण ने विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील योजित की जो निर्णयादेश दिनांक 28–04–2015 से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के निर्णयादेश दिनांक 28–04–2015 के विरूद्व यह द्वितीय अपील योजित की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक सुना एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि प्रतिउत्तरदातागण जाहिद एवं शकूर से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से वर्ष 2004 में उद्योग की स्थापन हेतु कय की थी। प्रश्नगत भूमि उद्योग की स्थापना के लिए अधिसूचित थी और उद्योग की स्थापना हेतु अधिसूचित भूमि के कय करने के लिए शासन की अनुमति

की आवश्यकता नहीं है फिर भी निगरानीकर्तागण ने जिलाधिकारी, हरिद्वार से भूमि क्रय हेतु अनुमति प्राप्त की थी। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हरिद्वार ने दिनांक 04–06–2004 को जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व), हरिद्वार से विधिक राय भी प्राप्त की जिसमें उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि के क्रय किये जाने हेतु शासन की अनुमति की आवश्यकता न होने का उल्लेख किया गया था फिर भी अपीलार्थी के विरूद्व जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–166/167 के अन्तर्गत कार्यवाही कर अपीलार्थी की भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित किए गए। अवर न्यायालयों के आदेश निरस्त होने एवं अपील स्वीकार होने योग्य है।

प्रतिउत्तरदाजा राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) द्वारा भी तर्क दिया गया कि यदि प्रश्नगत भूमि उद्योग की स्थापना हेतु अधिसूचित है तो उसे क्रय करने हेतु शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत भूमि उद्योग की स्थापना हेतु दिनांक 09–06–2004 को क्रय की थी। यह भूमि राज्य सरकार द्वारा उद्योग की स्थापना हेतु अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत है। प्रश्नगत भूमि के क्रय किए जाने हेतु अनुमति की आवश्यकता न होने पर भी अपीलार्थी ने जिलाधिकारी, हरिद्वार से भूमि क्रय की अनुमति दिनांक 07–06–2004 प्राप्त की। यह स्पष्ट है कि पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जो अनुमति अपीलार्थीगण को प्रदान की गई है वह अधिनियम अथवा शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत ही प्रदान की गई होगी। इस सम्बन्ध में जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व), हरिद्वार द्वारा अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित अपनी आख्या दिनांक 04–06–2004 में भी यह स्पष्ट अभिमत प्रकट किया गया है कि औद्योगिक संस्थान के निर्माण हेतु अधिसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय किए जाने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 08–09–2008 में इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया कि पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जो अनुमति दी गई है वह भली–भाँति परीक्षण के पश्चात ही प्रदान की गई होगी। इसी प्रकार अपर आयुक्त ने भी इन तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया कि औद्योगिक आस्थान/संस्थान के निर्माण हेतु अधिसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय करने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में द्वितीय अपील स्वीकार होने एवं अवर न्यायालयों के आदेश निरस्त होने योग्य हैं।

आदेश

द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 28–04–2015 एवं कलक्टर, हरिद्वार द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 08–09–2008 निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली सँचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 09/06/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।